न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 59 / 2021

हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल ब्राह्मण निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश।

बनाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 27.08.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि हरीशचन्द कटारा पुत्र कुन्दन लाल ब्राह्मण निवासी ए–3 कृष्णापुरी प्रतापनगर आगरा उत्तरप्रदेश ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 25.03.2021 माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के यहां पेश की गई थी, जो राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक 1228 दिनांक 07.04.2021 से धारा 6 (3) में अन्तरित होकर लोकसूचना अधिकारी कलक्ट्रेट भरतपुर को प्राप्त हुई। लोकसूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलै० भरतपुर द्वारा प्रार्थी का आवेदन अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को सूचना उपलब्ध कराने हेतु 6(3) में अन्तरित किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने प्रार्थी को सूचना उपलब्ध न कराने पर अपीलान्ट द्वारा इस कार्यालय में अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 526 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक / 542 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐ अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से सूचनाऐ उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 542 दिनांक 27.08.2021 का अवलोकन किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने अपने जबाब में अंकित किया है कि अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से दो बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी जिनमे से बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 539–541 दिनांक

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

27.08.2021 से उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 02 की सूचना तहसीलदार उच्चैन से सबंधित होने के कारण उन्हें पत्रांक 539–541 दिनांक 27.08.2021 से अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया है। इस बाबत् पत्रांक 539–541 दिनांक 27.08.2021 से अपीलान्ट को भी सूचित किया गया है।

इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलान्ट को बिन्दु संख्या 1 की सूचना उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दु संख्या 02 की सूचना हेतु अपीलान्ट को तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त करने हेतु लिखा गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा अपने जबाब के संलग्न पत्र कमांक 539–541 दिनांक 27.08.2021 की छायाप्रति भी संलग्न की है। अतः अपीलान्ट यदि इच्छुक हो तो बिन्दु संख्या 02 की सूचना तहसीलदार उच्चैन से प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर के विरूद्व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत की गई अपील खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर